आ. 28/5/20

क्रमांक 607 — 21
कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त काँगड़ा ,
स्थित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश ।

प्रेषक,

अतिरिक्त उपायुक्त काँगड़ा ,
स्थित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश ।

प्रेषित,

समस्त खंड विकास अधिकारी ,
जिला काँगड़ा हि० प्र० ।

विषय: मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत कार्यो को बढावा देने के लिए "मनरेगा समग्र" का क्रियान्वयन

महोदय / महोदया,

जैसा कि आप को विदित है कि COVID-19 के चलते जिला काँगड़ा चुनौतिपूर्ण समय से गुजर रहा है | बहुत से लोग जो बाहर के प्रदेशों में निजी क्षेत्रो में रोजगार के लिए गए थे , अब वे अपने जिला में वापिस आकर रोजगार के लिए जूझ रहे हैं | इस समस्या के उन्मूलन हेतु यह निर्णय लिया गया हैं कि वर्ष 2020 – 2021 में ग्रामीण क्षेत्रो में खेती, बागवानी, पशु पालन एवं मछली पालन की गतिविधियों को सुदृढ करने के लिए मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तिगत कार्यो को बढ़ावा दिया जाएगा | इस पहल को "**मनरेगा समग्र**" नाम दिया गया है जिसके तहत खंड विकास अधिकारीयों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे स्वयं सक्रीय रूप से सभी लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए प्रयास करेंगे | "मनरेगा समग्र" के अंतर्गत निम्न व्यक्तिगत कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी:

क्रमांक	कार्य का नाम	राशि	मद संख्या
1	निर्माण केंचुआ खाद पिट	9000/-	83
2	निर्माण बकरी शैड	35000/-	212
3	निर्माण मुर्गी आश्रय	40000/-	214
4	निर्माण गौशाला (घराल)	35000/-	211
5	निर्माण सूअर बाड़ा	35000/-	213
6	पौधारोपण (फलदार ,औषधिय, पशु चारे वाले ,शहतूत)	100000/-	127
7	ओजोला पौधारोपण	100000/-	243

Additional Deputy Commissioner
Kangra at Dharamshala

8	निर्माण शाक वाटिका (किचन गार्डन)	100000/-	(मुख्य मंत्री एक बीघा योजना के अंतर्गत)
9	फूलो की नर्सरी	100000/-	175
10	निर्माण तालाब (मत्स्य पालन हेतू)	100000/-	181
11	भूमि समतलीकरण और शेपिंग	100000/-	60
12	निर्माण सुरक्षा दीवार भूमि कटाव को रोकने हेतू	100000/-	20
13	निर्माण कूहल	100000/-	61
14	निर्माण कंटूर /ग्रेडेड बाँध /खेत बाँध का निर्माण	100000/-	15
15	शौचालय निर्माण	15000/-	236
16	निर्माण सोखता गड्ढा	8000/-	224
17	निर्माण वर्षा जल संग्रहण टैंक	100000/-	178

"मनरेगा समग्र" के अंतर्गत उपरोक्त व्यक्तिगत कार्यों को करवाने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश :-

1. "मनरेगा समग्र" सक्रीय रूप से लाभार्थियों तक मनरेगा का लाभ पहुचाने की भावना से प्रेरित है | अतः इसके प्रत्येक चरण का कार्य समयबद्ध तरीके से कराने का उत्तरदायित्व खंड विकास अधिकारी का होगा | शुरुआत में जून 2020 के माह में प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम 30 नए व्यक्तिगत कार्य मनरेगा समग्र के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर शुरू करवाए जायेंगे | इसके लिए सक्रीय रूप से लाभार्थियों को चिह्नित कर नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा |

2. इच्छुक व्यक्ति को एक आवेदन पत्र विकास खंड कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में दे सकता है, जिसमें लिखा जाएगा कि उसे कौन-सा कार्य मनरेगा के अंतर्गत करवाना है | खंड विकास कार्यालय में SEBPO "मनरेगा समग्र" के लिए नोडल अधिकारी होंगे जो आवेदन को प्राप्त कर आवेदनकर्ता को उसकी पावती देंगे | ग्राम पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव "मनरेगा समग्र" के लिए नोडल अधिकारी होंगे जो आवेदन को प्राप्त कर आवेदनकर्ता को उसकी पावती देंगे |

3. SEBPO एवं पंचायत सचिव द्वारा "मनरेगा समग्र" के अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति के लिए रजिस्टर लगाये जायेंगे | रजिस्टर में आवेदन का सम्पूर्ण मूवमेंट रिकॉर्ड किया जायेगा |

4. आवेदनकर्ता से आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज़ प्राप्त किये जाएंगे:

   (i) पर्चा - जो कि लोकमित्र केंद्र से प्राप्त हो जायेगा |
   (ii) ततीमा - स्थानीय पटवारी से प्राप्त होगा |
   (iii) फोटो - कार्य प्रारम्भ करने से पहले भूमि/ जगह का फोटो |

Additional Deputy Commissioner
Kangra at Dharamshala

(iv) अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसमें लिखा हो कि आवेदनकर्ता को उसकी भूमि पर कार्य किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है

5. आवेदन प्राप्त करते समय SEBPO या पंचायत सचिव द्वारा यह पता किया जाएगा कि आवेदनकर्ता के पास जॉब कार्ड है या नहीं | यदि आवेदनकर्ता के पास जॉब कार्ड नहीं बना है तो उसे जॉब कार्ड बनाने के लिए बताया जायेगा और उससे जॉब कार्ड के लिए आवेदन के साथ उसके आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साईज फोटो व बैंक खाते की कॉपी लेकर उसे यह जॉब कार्ड उसी दिन उपलब्ध करवा दिया जाएगा | इसकी जिम्मेदारी पंचायत सचिव और ग्राम रोज़गार सेवक की होगी |

6. आवेदन प्राप्त होने के बाद पंचायत सचिव द्वारा तकनिकी सहायक के माध्यम से कार्य का प्राक्कलन दो दिन के अन्दर लिया जायेगा और उसे आगामी पंचायत की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जायेगा | SEBPO द्वारा प्राप्त आवेदन के सबंध में भी पंचायत सचिव के माध्यम से पंचायत का प्रस्ताव और प्राक्कलन प्राप्त किया जाएगा | यदि कोई तकनिकी सहायक प्राक्कलन तैयार करने में देरी करता है तो उसके विरुद्ध कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने के कारवाई की जायेगी |

7. पंचायत द्वारा स्वीकृति के उपरान्त पंचायत प्रस्ताव, प्राक्कलन एवं आवेदनकर्ता द्वारा दिए गए समस्त दस्तावेजों सहित फाइल SEBPO के माध्यम से खंड विकास अधिकारी को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जायेगी |

8. यदि पंचायत किसी कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव पारित नहीं करती है तो प्रस्ताव में उसका कारण देना होगा | किसी भी व्यक्ति के कार्य को अकारण लंबित रखने या अस्वीकृत करने पर पंचायत सचिव और पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने के कारवाई की जायेगी |

9. खंड विकास अधिकारी के पास सम्पूर्ण प्रस्ताव पहुचने के दो दिन के अन्दर उस पर निर्णय लिया जाएगा | निदेशक एवं आयुक्त (मनरेगा) के कार्यालय पत्र संख्या SMS-1/2019-20-RDD दिनांक 21 अप्रैल 2020 के अनुसार यदि कोई बेरोजगार ग्रामीण व्यक्ति जो मनरेगा के अंतर्गत अपनी व्यक्तिगत भूमि पर काम करने का इच्छुक है तो उसे मनरेगा के अंतर्गत काम करने की अनुमति दी जा सकती है, चाहे वह कार्य ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों की सूचि में शामिल ना हो तथा सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी द्वारा इन कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति मनरेगा दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी | बागवानी के सम्बन्ध में भी पत्र संख्या SMS-1/2020-21-RDD दिनांक 22 अप्रैल 2020 के द्वारा भी खंड विकास अधिकारी को बागवानी सम्बन्धित कार्य मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कर ग्राम सभा को कार्योत्तर स्वीकृति लेने की शक्तियां प्रदत की है | **मनरेगा समग्र के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी इन शक्तियों का सक्रीय प्रयोग करने के लिए जिम्मेवार होंगे** | कार्य के स्वीकृत शेल्फ में होने को अनिवार्य शर्त नहीं माना जाएगा | यदि खंड विकास अधिकारी किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत करते है तो उसका भी कारण रिकॉर्ड करना होगा |

Additional Deputy Commissioner
Kangra at Dharamshala

10. आवेदन प्राप्त होने के उपरांत पंचायत सचिव एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा अधिकतम 20 दिनों में सभी औपचारिकताए पूर्ण कर कार्य की स्वीकृति दे दी जाएगी ।

11. कार्य की स्वीकृति के एक प्रति आवेदनकर्ता/ लाभार्थी को भी भेजी जाएगी | स्वीकृति प्राप्त होने के दो दिन के अन्दर पंचायत सचिव/ ग्राम रोज़गार सेवक को लाभार्थी से फार्म नंबर 4 में रोजगार की मांग लेनी होगी |

12. फॉर्म न 4 प्राप्त करने के तीन दिन के अन्दर कार्य के लिए मस्टर रोल ज़ारी की जाएगी और कार्य को फील्ड में शुरू करवाया जाएगा | मस्टर रोल को ऑनलाइन करने, कार्य के मूल्याङ्कन एवं भुगतान की प्रक्रिया मनरेगा के सभी कार्यों की तर्ज़ पर समान रहेगी |

13. उक्त कार्यो में धन राशि का प्रबंधन मनरेगा के अंतर्गत यथा-निर्धारित 60:40 के अनुपात से ही व्यय किया जायगा (60% मजदूरी धटक व 40% सामग्री घटक) तथा यदि कार्य पौधारोपण/ बागवानी का है तो सामग्री घटक से ही बीज, पौधे व फलदार पौधों को खरीदा जाएगा | औषधिय पौधारोपण / फलदार पौधारोपण की सतत निरंतरता बनाये रखने के लिए कंटीली बाड़ / क्रेट डंगा / ट्री गार्ड की उपलब्धता नियमानुसार की जा सकती है |

14. किसी भी व्यक्तिगत कार्य को करवाने में लाभार्थी व उसका परिवार स्वयं भी कार्य करेगा | नियमनुसार दूसरे कामगारों को कार्य में सम्मिलित किया जा सकता है ।

15. हर कार्य को चालू वित्तिय वर्ष के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा | आवश्यकता अनुसार प्राधिकृत अधिकारी कार्य पूर्ण ना होने की स्थिति पर कार्य को बंद करने के लिए अधिकृत होगा |

16. ऊपर दिए गए 17 कार्यो की सूची प्राथमिकता के लिए है | मनरेगा समग्र के तहत उन तमाम कार्यो की अनुमति होगी जो व्यक्तिगत कार्यो के अंतर्गत मनरेगा में स्वीकार्य /स्वीकृत है | उन कार्यों को भी किया जा सकता है जहाँ किसानों/ बागवानों का समूह लाभान्वित हो रहा हो जैसे लघु सिंचाई परियोजना | ऐसे कार्यो को प्राथमिकता दी जाए जिनसे व्यक्तिगत आय में वृद्धि करके लाभार्थी कोरोना के कारण उपजी बेरोजगारी से मुकाबला कर सकता है | उदाहरण के लिए खेती के लिए भूमि सुधार/ बागवानी / नर्सरी /मुर्गी पालन /गौशाला (घराल)/ सिंचाई इत्यादि ।

17. खंड विकास अधिकारी “मनरेगा समग्र” के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की पंचायत वार संख्या की साप्ताहिक रिपोर्ट डी० आर० डी० ए० को देंगे ।

18. किसी भी स्तर पर सहयोग न मिलने अथवा अकारण मनरेगा के अंतर्गत लाभ न देने की शिकायत आवेदनकर्ता 1100 पर कर सकता है |

Additional Deputy Commissioner
Kangra at Dharamshala

अतः समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए जाते है कि उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए "मनरेगा समग्र" के अंतर्गत व्यक्तिगत कार्यो का उचित क्रियांवन सुनिश्चित करें ताकि अधिकाधिक लोगों को मनरेगा स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीय

(राघव शर्मा), भा0 प्रा0 से0
अतिरिक्त उपायुक्त काँगड़ा ,
स्थित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश ।
Additional Deputy Commissioner
Kangra at Dharamshala